



Neutral Citation No. - 2026:AHC:560

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 43244 वर्ष 2025

शिव

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: प्रदीप कुमार यादव

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को जमानत आवेदन के ज्ञापन में आवश्यक सुधार करने की अनुमति दी जाती है। यह सुधार दिन के दौरान किया जा सकता है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रदीप कुमार यादव और राज्य प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व कर रहे विद्वान ए.जी.ए. श्री राजेश कुमार सिंह की बात सुनी गई।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



धारा 483 बी.एन.एस.एस. के तहत यह जमानत याचिका आरोपी-आवेदक शिव की ओर से दायर की गई है, जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 590/2025, धारा 87, 137 (2) बी.एन.एस. और धारा 3/4 पॉक्सो अधिनियम के तहत, पुलिस स्टेशन-सिरसागंज, जिला-फिरोजाबाद में जमानत पर रिहाई की मांग की गई है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आरोपी-आवेदक निर्दोष है। उसे इसी मामले में झूठा फंसाया गया है और वह 25.10.2025 से जेल में बंद है। प्रथम सूचना रिपोर्ट 13.10.2025 को दर्ज की गई थी, जिसमें कहा गया था कि प्रथम सूचनाकर्ता की नाबालिग बेटी 12.10.2025 की सुबह घर से चली गई थी और उसका पता नहीं चल पाया। प्रथम सूचनाकर्ता ने अपने बयान में प्रथम सूचना रिपोर्ट के विवरण को दोहराया है। आवेदक का नाम गवाहों अनीता और काजल के बयान में सामने आया है। पीड़िता ने धारा 180 और 183 बीएनएसएस के तहत अपने बयान में कहा है कि वह खुद आवेदक के साथ गई थी। पीड़िता के बयान में यौन संबंध के संबंध में विरोधाभास है। आवेदक का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और जमानत पर रिहा होने की स्थिति में उसके न्याय प्रक्रिया से भागने या साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए, जमानत की अर्जी दी गई है।

विद्वान एजीए ने पुरजोर विरोध किया, लेकिन इस तथ्य का खंडन नहीं कर सके कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

इन सभी तथ्यों और परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की स्थिति में सजा की गंभीरता और सहायक साक्ष्य की प्रकृति, गवाह के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका और प्रथम दृष्टया मामले

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



को ध्यान में रखते हुए, लेकिन मामले की योग्यता पर टिप्पणी किए बिना, जमानत का मामला बनता है।

अतः, जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

उपरोक्त मामले (अपराध संख्या) में आरोपी-आवेदक **शिव** को, उसके द्वारा व्यक्तिगत मुचलके और दो विश्वसनीय जमानतों को, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के जमानत पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:

1. आवेदक साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा।
3. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा नहीं और मुकदमे में सहयोग करेगा।
4. आवेदक मुकदमे की सुनवाई के लिए निर्धारित प्रत्येक तिथि पर नियमित रूप से उपस्थित होगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी जाए।

उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने की स्थिति में, अवर न्यायालय उसकी जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगी।

5 जनवरी, 2026

दीपक /

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)



अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।